

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
बल्लभ भवन, भोपाल-462004

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 28 मई, 2020

कमांक एफ 19-31/2020/1/4 :: माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NCT) नई दिल्ली के प्रकरण कमांक 347/2016 श्री चन्द्रमाल सिंह विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2019 की सतत समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

1	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
5	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश	सदस्य
6	सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य सचिव

- 2/ उक्त समिति का मुख्य कार्य स्थानीय निकायों द्वारा शत-प्रतिशत Biodiversity Management Committees (BMC) का गठन सुनिश्चित कराना, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा विकसित PBR Quality Evaluation Framework का उपयोग कर लोक जैव विविधता पंजी (PBRs) के निर्माण की प्रगति का अनुश्रवण एवं गुणवत्ता का परिक्षण करना और राष्ट्रीय स्तर पर उक्त कार्य हेतु बनी समिति को सहयोग करना रहेगा।
- 3/ समिति की बैठक माह में एक बार अवश्य आयोजित की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(डी. के. नागेंद्र)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. कमांक एफ 16-31/2020/1/4

भोपाल, दिनांक 28 मई, 2020

प्रतिलिपि:-

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव।
 2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
 3. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
 4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित प्रस्तुत।
 5. उपसंचालक, जनसम्पर्क मंत्रालय भोपाल।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग